

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३५२]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई २८, १९७२/श्रावण ६, १८९४

No. 352]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1972 'SRAVANA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रमण संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 28th July 1972

S.O. 507(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Tenth Amendment Order, 1972.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' the following entry shall be deleted:

“18(29)—Cobra, Krait, Viper, Echis and other Snake Venoms”.

3. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I Part 'B', the following entry shall be made after item No. 105:

“106—Cobra, Krait, Viper, Echis and other Snake Venoms”.

[Issued from file No. 26(2)/72-E.II.]

[No. E(C)O, 1968/AM(80).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय
(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

आदेश

नई दिल्ली 28 जुलाई 1972

एस० ओ० 597(अ).—आयात और निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और अने संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थातः—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) दमवौ संशोधन आदेश 1972 की संज्ञा दी जाय।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1ख भाग 'ए' में निम्नलिखित प्रविष्टि को हटाया जायगा :—

“18 (29) कोबरा, कैत, बाइपर, एचिस तथा अन्य विषैले सर्प।”

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग 'बी' में मद संख्या 105 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए :—

“106-कोबरा, कैत, बाइपर, एचिस तथा अन्य विषैले सर्प।”

[सं० ई (सी)ओ, 1968/ए एम (80)]

एम० एम० सैन,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।